(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 68 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री परमानन्द उम्र 42 वर्ष जाति महाजन (विक्रेता) निवासी वार्ड नं0 11 कवाई सालपुरा बारॉ जिला बारॉ (राज.) मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान एण्ड नमकीन भण्डार खानपुर रोड कवाई जिला बारॉ
2. श्री पवन कुमार पुत्र श्री परमानन्द जाति महाजन (मालिक) निवासी वार्ड नं0 11 कवाई सालपुरा बारॉ जिला बारॉ
3. मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान एण्ड नमकीन भण्डार खानपुर रोड कवाई जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोर्वधन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री धीरज सिंह हाडा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 19.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.04.2023 को मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान एण्ड नमकीन भण्डार खानपुर रोड कवाई अटरू जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री परमानन्द महाजन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **मावा के पेडे (मावा एवं शकर से निर्मित)** एक स्टील की ट्रे मे 03 कि0ग्रा [illegible] मैंने [illegible] परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य प[illegible] **के पेडे (मावा एवं शकर से निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हे[illegible]श्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वत[illegible]वाह की उपस्[illegible] मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा [illegible] पदार्थ **मावा के पेडे [illegible] एवं शकर से निर्मित)** मे से 500–500 ग्राम के चार भाग वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री परमानन्द महाजन (विक्रेता) को 560 / – रूपये (अक्षरे पॉच सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मावा के पेडे (मावा एवं शकर से निर्मित)** को स्टील की ट्रे मे एकरूप कर चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शिशियों मे बराबर–2 भरकर प्रत्ये कमे फॉर्मलीन की 40–40 बूद डालकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1813 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1813 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री परमानन्द महाजन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/212 दिनांक 10.05.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 785/PHL/Kota/Act/2023/780 दिनांक 01.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा के पेडे (मावा एवं शकर से निर्मित)** धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मावा के पेडे (मावा एवं शकर से निर्मित)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कहा गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व मिथ्या आधारों पर झूठी कार्यवाही चलाई गई है जो निरस्तनीय है ओर कथन है कि अप्रार्थीगण अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए छोटी सी मिष्ठान की दुकान लगा रखी है। मिठाई मे किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है न ही किसी भी प्रकार की कोई अप्रार्थीगण की दुकान बाबत कोई शिकायत है। यह कि अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है जिनकी आजीविका मात्र मिष्ठान की दुकान से चलती है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही ड्राप फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 785/PHL/Kota/Act/2023/780 दिनांक 01.05.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा के पेडे (मावा एवं शकर से निर्मित)** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 785/PHL/Kota/Act/2023／780 दिनांक 01.05.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 28,000／— रूपये (अक्षरे अट्ठाईस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **19.01.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested